

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 404 / 08, 05.11.2008
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ द्वारा दिनांक 05.11.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा 'इन्सुलेटर्स' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 18.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि इन्सुलेटर्स पूर्व में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-66 एवं भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 दोनों पर अंकित था । विज्ञप्ति संख्या-2758, दिनांक 29.09.2008 द्वारा प्रविष्टि संख्या-236 को विलोपित कर दिया गया । वर्तमान में इसका प्रभाव कर की दर पर क्या होगा यह जानना चाहा गया है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-243, दिनांक 25.04.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि इन्सुलेटर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-66 पर वर्तमान में भी अंकित है । अतः 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होना चाहिए ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ की आख्या का समर्थन किया गया ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि इन्सुलेटर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-66 पर अंकित है । अतः 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होगा ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 20, दिसम्बर, 2013

ह0/ 20-12-2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।